उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, परीक्षा नियम-2019

(पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्धित दिनांक 1 जुलाई, 2019 से प्रभावशील)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ने उनके पत्र क्रः 1167/अकादमी/संबद्धता/97, दिः 06/03/97 द्वारा उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को शैक्षणिक सत्र् 1996-97 से स्वशासी घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है, परिणामस्वरूप अब संस्थान के सभी अकादमिक कार्य विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 36 के अनुसार संचालित करने के अधिकार संस्थान को प्राप्त हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपने पत्र क्रमांक एफ.22-1/2005(एसी) जनवरी, 2007 द्वारा उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल को स्वशासी दर्जा प्रदाय किया है। अतः वर्तमान में संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्वशासी योजना मार्गदर्शिका एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के परिनियम 36 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के मूल्यांकन एवं परीक्षा के लिये नीचे दर्शाए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियम बनाये जाते हैं:

:उद्देश्यः

(क) परम्परागत परीक्षाओं की कमजोरियों की पहचान विभिन्न विशेषज्ञ-समितियों ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने समय-समय पर की है तथा इन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाये हैं। संस्थान की परीक्षा व्यवस्था में इन उपायों को यथासम्भव लागू करना;

(ख) परीक्षाओं का उपयोग केवल विद्यार्थियों के श्रेणीकरण के लिये ही नहीं वरन् अध्ययन-अध्यापन के प्रभावी उपकरण के रूप में करना;

(ग) संस्थान में ऑनर्स उपाधि अर्जित करने के लिए किसी विद्यार्थी को तीन वर्षों से अधिक संस्थान में रहने की आवश्यकता न हो यह सुनिश्चित करना; एवं

(घ) तृतीय श्रेणी/पूरक द्वारा उत्तीर्ण जैसे परीक्षा परिणाम विद्यार्थी की भावी प्रगति में स्थायी बाधा न बने, इसकी व्यवस्था करना।

: परीक्षा नियम :

1. इन नियमों को '**उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, परीक्षा नियम-2019**' कहा जायेगा।

2. ये नियम उन सब विद्यार्थियों पर लागू होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र् 2019-20 या उसके बाद के सत्रों में प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश लिया है या आगे लेंगे।

3. इन नियमों के क्रियान्वयन के लिये संस्थान के संचालक द्वारा प्रशासकीय, वित्तीय एवं प्रबंधकीय आदेश जारी किए जा सकेंगे।

4. संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं में केवल नियमित विद्यार्थी अथवा ऐसा विद्यार्थी ही बैठ सकेगा जो संस्थान का नियमित विद्यार्थी था/थी और **एटीकेटी** (Allowed To Keep Term) व्यवस्था के अंतर्गत अथवा उपाधि पाठ्यक्रम के शेष प्रश्न-पत्रों को पूरा करने के लिए परीक्षा में बैठना चाहता है।

5. परीक्षा के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया, परीक्षा फार्म का प्रारूप एवं इस संबंध में आवश्यक प्रशासकीय व प्रबंधकीय व्यवस्था संस्थान के संचालक द्वारा संस्थान के सूचना पटल पर परीक्षा प्रारम्भ होने से कम-से-कम 15 दिन पूर्व संसूचित की जाएगी।

6. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए परीक्षा शुल्क संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में जारी विवरणिका में संसूचित किया जाएगा। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिये परीक्षा शुल्क का निर्धारण इस सामान्य सिद्धांत पर आधारित होगा कि परीक्षा व्यवस्था पर आने वाला आवर्ती व्यय, यथा सम्भव परीक्षा-शुल्क से प्राप्त होने वाली आय से पूरा हो सके।

7. संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत दी जाने वाली उपाधि की पात्रता विद्यार्थी को उसी समय होगी, जब वह इस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित विषयों के सभी प्रश्न-पत्रों की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है।

8. प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक (सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग-अलग) प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा यह भी आवश्यक होगा कि सकल रूप से सभी विषयों में प्राप्तांकों का योग कम-से-कम 48 प्रतिशत हो।

9. स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों का मूल्यांकन दो भागों में होगा। प्रथम भाग सतत् मूल्यांकन पर आधारित होगा जिसमें सैद्धांतिक भाग के लिये आवंटित अंकों के 50 प्रतिशत अंक होंगे व द्वितीय भाग में शेष 50 प्रतिशत अंक होंगे जो कि बाह्य परीक्षा पर आधारित होंगे। स्नातकोत्तर विषयों में सतत् मूल्यांकन एवं बाह्य परीक्षा के अंको का विभाजन इन पाठयक्रमों से संबंधित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्यादेश द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार होगा। सतत् मूल्यांकन नियम **परिशिष्ट-1** पर संलग्न है।

10. सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित होने संबंधी अर्हताएँ

सेमेस्टर परीक्षाओं में वे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगें जो निम्न अर्हताऐं पूरी करते हो:

(i) विद्यार्थी का नाम संस्थान में पंजीकृत हो एवं उसका नामांकन विश्वविद्यालय में हो चुका हो।

(ii) विद्यार्थी की उपस्थिति संबंधित सेमेस्टर के दौरान 75 प्रतिशत से कम न हो।

टीप: संचालक द्वारा उपस्थिति में 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी, उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में विद्यार्थी बाह्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

(iii) विद्यार्थी ने संस्थान तथा विश्वविद्यालय को देय सभी शुल्क अथवा अन्य देय राशियों का भुगतान कर दिया हो।

(iv) विद्यार्थी ने परीक्षा में बैठने संबंधी परीक्षा-आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।

टीप: ऐसे नियमित विद्यार्थी जो निर्धारित तिथि तक परीक्षा आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगें, उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रवेश से वंचित किया जा सकेगा।

(v) विद्यार्थी जिस सेमेस्टर की परीक्षा दे रहा हैं, उसमें उसने सतत् मूल्यांकन के अतंर्गत प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक अर्जित कर लिये हो।

(vi) विद्यार्थी एटीकेटी संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के अयोग्य घोषित न किया गया हो।

(vii) विद्यार्थी को किसी भी कारण से संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से वंचित न किया गया हो।

11. परीक्षा संबंधी योजना (Scheme of Examination)

(i) सेमेस्टर I, III एवं V की बाह्य परीक्षायें सामान्यतः नवंबर/दिसम्बर माह में तथा सेमेस्टर II, IV, VI की परीक्षायें अप्रैल/मई माह में आयोजित होंगी।

(ii) विद्यार्थियों का मूल्यांकन सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहॉ लागू हो) विषयों में किया जावेगा और उन्हें सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना होगा।

(iii) विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये प्रत्येक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक तथा सकल योग में न्यूनतम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

(iv) ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रश्नपत्र में 36 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगें अथवा सकल योग में 48 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगें, उन्हें एटीकेटी श्रेणी में रखा जावेगा।

(v) सकल योग में 48 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने सकल योग का उन्नयन करने के लिये उनके आनर्स अथवा सहायक प्रश्नपत्रों में से एक या दो प्रश्नपत्रों की परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने का अवसर दिया जावेगा।

(vi) ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सेमेस्टर-I अथवा/और सेमेस्टर-II की परीक्षा में एटीकेटी श्रेणी में रखा गया है वे इन एटीकेटी प्रश्नपत्रों की परीक्षा दो प्रयासों में अपनी सेमेस्टर-III अथवा/और सेमेस्टर-IV की नियमित परीक्षा के साथ देंगें। जिन विद्यार्थियों को सेमेस्टर-III अथवा/और सेमेस्टर-IV की परीक्षा में एटीकेटी श्रेणी में रखा गया है वे इन प्रश्नपत्रों की परीक्षा क्रमशः अपनी सेमेस्टर-V एवं सेमेस्टर-VI की नियमित परीक्षा के साथ देंगें।

(vii) **ऐसे विद्यार्थी जो चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने तक अपने सेमेस्टर-I एवं सेमेस्टर-II संबंधी एटीकेटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगें उन्हें सेमेस्टर-V में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।**

(viii) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी सेमेस्टर हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम तो पूर्ण कर लिया है किंतु बाह्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए है अथवा परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हो गये हैं, उन्हें संचालक की अनुशंसा पर ऐसी परीक्षा में सम्मिलित/पुनः सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में उस विद्यार्थी के एटीकेटी प्रश्नपत्र के सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक को विलोपित कर दिया जावेगा अर्थात् एटीकेटी प्रश्नपत्रों में केवल बाह्य परीक्षा के आधार पर तुल्यता निर्धारित करते हुए परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा।

(ix) विद्यार्थी को किसी सेमेस्टर की सम्पूर्ण परीक्षा में बैठने के लिये केवल दो अवसर दिये जावेंगे। किंतु एटीकेटी श्रेणी में रखे गये विद्यार्थियों को अपना तीन वर्षीय स्नातक आनर्स पाठ्यक्रम, अधिकतम पाँच वर्षों में पूर्ण करना होगा। इसी प्रकार दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अधिकतम तीन वर्षों में पूर्ण करना होगा।

(x) सामान्यतः एटीकेटी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये यदि उस प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तो पुनरीक्षित पाठ्यक्रम ही लागू होगा। यदि उस प्रश्नपत्र का नवीन पाठ्यक्रम लागू किया जा चुका हो तो उस स्थिति में एटीकेटी परीक्षा के लिए पूर्व का ही पाठ्यक्रम लागू रहेगा।

(xi) छटे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत भी यदि छटे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों के कुछ प्रश्नपत्रों में 36 प्रतिशत से कम अंक होने के कारण अथवा सकल योग 48 प्रतिशत से कम होने के कारण एटीकेटी श्रेणी बनी हुई है तो इन विद्यार्थियों को एटीकेटी दर्शाते हुए केवल छटवें सेमेस्टर की एक पृथक अंकसूची जारी की जावेगी और इन विद्यार्थियों के लिये एक विशेष एटीकेटी परीक्षा का आयोजन किया जावेगा। समेकित अंकसूची (Consolidated Marksheet) सभी सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक तथा सकल योग न्यूनतम 48 प्रतिशत होने पर ही जारी की जावेगी।

(xii) पहले सेमेस्टर से पाँचवे सेमेस्टर तक के लिये जारी की जाने वाली अंकसूचियों में विद्यार्थियों को कोई भी श्रेणी आवंटित नहीं की जावेगी। छटे सेमेस्टर की समाप्ति पर सभी सेमेस्टरों के प्राप्तांकों के सकल योग के आधार पर श्रेणी दी जावेगी। ऐसे विद्यार्थी जो 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगें उन्हें विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी, 60 प्रतिशत या इससे अधिक किंतु 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर प्रथम श्रेणी एवं 48 प्रतिशत या इससे अधिक किंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर द्वितीय श्रेणी आवंटित की जावेगी।

(xiii) स्नातक स्तर पर प्रत्येक आनर्स विषय में तथा विभिन्न स्नातकोत्तर विषयों में प्राविण्य सूची की घोषणा उस पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टरों के प्राप्तांकों के कुल योग के आधार पर की जावेगी।

(xiv) कृपांक संबंधी व्यवस्था :

(a) किसी सेमेस्टर के किसी भी एक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक के लिए एक अंक कृपांक के रूप में दिया जा सकेगा।

(b) सभी छः सेमेस्टर की समेकित अंकसूची में यदि सकल योग (aggregate) में अधिकतम तीन अंकों की कमी है तो ऐसे विद्यार्थियों को कृपांक द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।

(c) सभी छः सेमेस्टर की समेकित अंकसूची में यदि प्रथम श्रेणी अर्जित करने के लिये अधिकतम तीन अंकों की कमी है तो ऐसे विद्यार्थियों को कृपांक द्वारा प्रथम श्रेणी प्रदान की जावेगी।

12. ऐसे परीक्षार्थी जिन्हें किसी भी प्रश्न-पत्र सैद्धांतिक/प्रायोगिक की परीक्षा में 36 प्रतिशत या सभी विषयों में सकल रूप से 48 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए है; उन्हें **एटीकेटी** की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी जिनकी किसी प्रश्न-पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाती है, अथवा जो किसी कारण से परीक्षा में अनुपस्थित रहते है, उन्हें भी **एटीकेटी** श्रेणी में रखा जाएगा। **'एटीकेटीं** श्रेणी में रखने से तात्पर्य यह होगा कि विद्यार्थी को तुरंत अगले सेमेस्टर की कक्षाओं में उपस्थित होने और उसके अंतर्गत पढ़ाये जाने वाले विषयों की परीक्षा देने की पात्रता तो होगी, किन्तु प्रथम अथवा/और द्वितीय सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण करनी होगी। उत्तीर्ण न करने की स्थिति में नियम-11(vii) के परिपालन में विद्यार्थी को पॉचवे सेमेस्टर में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह पूर्व विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

13. किसी परीक्षार्थी को यदि किसी विषय के किसी प्रश्न-पत्र में 36 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होने पर एटीकेटी प्राप्त होती है तो संबंधित विद्यार्थी को उक्त विषय के केवल उसी प्रश्न-पत्र की एटीकेटी परीक्षा में बैठना होगा।

14. **एटीकेटी** श्रेणी से बाहर आने हेतु परीक्षा व्यवस्था नीचे दर्शाये अनुसार होगी :

सेमेस्टर जिसमे एटीकेटी प्राप्त हुई है	**सेमेस्टर की परीक्षा जिसमें एटीकेटी को दूर करने के लिए बैठा जा सकेगा।**
सेमेस्टर-एक	नियमित विद्यार्थी के रूप में: तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के साथ
	पूर्व विद्यार्थी के रूप में: आगे के वर्षों की सेमेस्टर परीक्षा के साथ
सेमेस्टर-दो	नियमित विद्यार्थी के रूप में: तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के साथ
	पूर्व विद्यार्थी के रुप में: आगे के वर्षों की सेमेस्टर परीक्षा के साथ
सेमेस्टर-तीन	सेमेस्टर-पाँच (प्रथम प्रयास) एवं विशेष एटीकेटी परीक्षा
सेमेस्टर-चार	सेमेस्टर-छः (प्रथम प्रयास) एवं विशेष एटीकेटी परीक्षा
सेमेस्टर-पाँच	सेमेस्टर-छः (प्रथम प्रयास) एवं विशेष एटीकेटी परीक्षा
सेमेस्टर-छः	विशेष एटीकेटी परीक्षा

विशेष एटीकेटी परीक्षा: प्रत्येक वर्ष छटवे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एक माह की अवधि में एक विशेष एटीकेटी परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसमें सेमेस्टर तीन से सेमेस्टर छः तक के एटीकेटी श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के एटीकेटी प्रश्नपत्रों का समावेश किया जावेगा।

15. **एटीकेटी** की सुविधा केवल बाह्य परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ही लागू होगी, सतत् मूल्यॉकन व्यवस्था के अंतर्गत लागू नहीं होगी।

16. ऐसे विद्यार्थी जो सतत् मूल्यांकन के अन्तर्गत उपस्थिति कम होने अथवा न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त न करने के कारण किसी प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों की परीक्षा में बैठने के लिये अपात्र घोषित किये गये है, भविष्य में जब वह अपने अपात्रता वाले इन प्रश्नपत्रों की परीक्षा देंगें तो उनका मूल्यांकन केवल बाह्य परीक्षा के आधार पर किया जावेगा।

17. प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा के बाद जो अंकसूची जारी की जायेगी उसमें तो एटीकेटी श्रेणी इंगित की जायेगी, किंतु सभी सेमेस्टर की परीक्षाऍं नियमानुसार उत्तीर्ण कर लेने पर जो समेकित अंक-सूची जारी की जायेगी उसमें एटीकेटी संबंधी स्थिति नही दर्शाई जायेगी।

18. संस्थान में अंकों की पुनर्गणना की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। परीक्षकों से उत्तर पुस्तिकाऍं प्राप्त होने पर संस्थान की ओर से ही यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उत्तर पुस्तिकाओं में हर उत्तर की परीक्षक द्वारा जॉच कर ली गई है व उन पर अंक दे दिये गये हैं और अंकों का जोड़ सही है।

19. संस्थान द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न-पत्र का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहता है तो उसे रूपये 500/- प्रति प्रश्न-पत्र फीस जमा करना होगी। पुनर्मूल्यांकन की सुविधा अधिकतम दो प्रश्न-पत्रों के लिए उपलब्ध रहेगी। पुनर्मूल्यांकन संबंधी आवेदन अंक-सूची प्राप्त होने के दिनॉक से 15 दिन के अंदर देना होगा। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा समिति द्वारा संबंधित परीक्षार्थी को उसके पिता/माता/अभिभावक (अभिभावक से तात्पर्य है जिनके द्वारा विद्यार्थी की शिक्षा की वित्त व्यवस्था की जा रही है।) के समक्ष उत्तर पुस्तिका देखने का मौका दिया जायेगा। उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के बाद भी यदि परीक्षार्थी यह चाहता है कि उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया जाये तो तत्समय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पुनर्मूल्यांकन संबंधी नियम (शुल्क संबंधी व्यवस्था को छोड़कर) के आधार पर उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप यदि परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है तो पुनर्मूल्यांकन की फीस रूपये 500/- वापस की जाएगी, किंतु उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात यदि परीक्षार्थी मूल्यांकन से संतुष्ट हो जाता है तो पुनर्मूल्यांकन के लिये जमा की गई फीस की राशि में से रूपये 100/- प्रशासनिक व्यय के रूप में रखकर शेष राशि विद्यार्थी को लौटा दी जाएगी।

20. परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की दृष्टि से संस्थान में आंतरिक/बाह्य परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका की फोटोकापी देने की सुविधा प्रदान की गई है यह सुविधा निम्न शर्तों पर दी जा सकेगी :

(i) परीक्षार्थी द्वारा अपनी स्वयं की अथवा अपनी कक्षा के अन्य सहपरीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तिका की फोटो कॉपी ली जा सकेगी। किसी भी अन्य व्यक्ति को उत्तर-पुस्तिका की फोटोकापी नहीं दी जावेगी।

(ii) उत्तर-पुस्तिका की फोटोकापी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर लिखित आवेदन देने एवं रूपये 200/- प्रति उत्तर-पुस्तिका की दर से आवश्यक शुल्क जमा करने पर ही दी जावेगी।

(iii) उत्तर-पुस्तिका की फोटो कॉपी देने की सुविधा के आधार पर संस्थान द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(iv) उत्तर-पुस्तिका की फोटोकापी देते समय इस बात का ध्यान रखा जावेगा की परीक्षार्थी को मूल्यॉकनकर्ता शिक्षक के नाम की जानकारी न हो।

21. विद्यार्थियों के गुणात्मक विकास को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान में संचालित विभिन्न संकायों के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय (ऑनर्स/सहायक) के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में विगत सेमेस्टर की बाह्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की सूची सूचना पटल पर लगाई जावेगी तथा इनकी उत्तर-पुस्तिकाएं वाचनालय में एवं संस्थान के पोर्टल पर विद्यार्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई जावेगी। विद्यार्थी अपने अध्ययन के परिमार्जन के लिए फोटो-कॉपी शुल्क देकर उत्तर-पुस्तिका के आवरण पृष्ठ/पृष्ठों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर-पुस्तिका अथवा उसके किसी भाग की फोटोकापी परीक्षा शाखा के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

22. यदि संस्थान की किसी भी परीक्षा के दौरान कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों को संचालक द्वारा गठित यूएफएम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति गुण-दोष के आधार पर प्रकरण की समीक्षा कर संस्थान के 'यूएफएम सम्बन्धी दिशा-निर्देश' (**परिशिष्ट-2**) नियमानुसार दण्ड की कार्यवाही हेतु अपनी अनुशंसा संचालक के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक प्रकरण में संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

23. सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित अभिलेख यथा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाऐं, प्राप्तांको के विवरण, सतत् मूल्यांकन संबंधी विभिन्न विवरण, प्राशिनकों से प्राप्त प्रश्न-पत्रों की मूल प्रतियां एवं अन्य प्रतिवेदन/सामग्री परीक्षा परिणाम की घोषणा के छःमाह के बाद नष्ट कर दिए जावेंगे, परन्तु परीक्षा से सम्बन्धी टेबुलेशन रजिस्टर का संधारण परीक्षा शाखा द्वारा किया जावेगा।

24. संस्थान की सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था इन नियमों के तहत संचालित होगी। परीक्षा व्यवस्था के संबंध में अन्य कोई विषय, जिसका उल्लेख इन नियमों में नहीं है, पर कार्यवाही बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में तत्समय उस विषय पर प्रभावशील नियमों के अंतर्गत की जावेगी। ऐसे विषय जिसका बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नियमों में भी कोई प्रावधान नहीं है तो, सामान्य रूप से मान्य व्यवस्था के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सामान्य रूप से मान्य व्यवस्था क्या है इस पर संस्थान के संचालक का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

(डॉ. अनुज हुण्डैत)
संयोजक, परीक्षा समिति

(डॉ. सुचित्रा बेनर्जी)
संयोजक, अकादमिक समिति